आंशिक प्रतिलिपि उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांकःएफ.17(14)चि.स्वा./ग्रुप–2/2008 दिनांक 09.04.2009 की ओर से निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित

विषयः–कीटनाशकों के छिडकाव दलों के गठन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

संदर्भः–निदेशालय की एकल पत्रावली संख्या प.2/बजट स्वीकृति/मले./निदे./2005

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार राज्य में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशकों का कार्य वर्ष 2009–10 में कराये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल महोदय की आज्ञानुसार निम्न शर्तो पर एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

1. राज्य में कीटनाशकों के छिडकाव की गुणवत्ता बढाने एवं फोकल स्प्रे को प्राकृतिक आपदाओं में मानते हुए दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरों पर विभागीय मस्टररोल के आधार पर नरेगा की तरह कार्य करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त कार्य पर होने वाला व्यय सन्दर्भित बजट मद 2210–06–101–01–002 संविदा व्यय (आयोजना व्यय) एवं 2210–06–796–02 संविदा व्यय (मजदूरी) (आयोजना व्यय) में उपलब्ध प्रावधान की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

उपरोक्त कमीटेड आइट्म्स की स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एफ 17 (14) वित्त/समन्वय/2003 दिनांक 26.08.04 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,
हस्ता0
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–प.2/बजट स्वीकृति/मले./निदे./2009–10/325 दिनांकः22/04/09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0, जयपुर ।
2. निजी सचिव, उप शासन सचिव, चि0 एवं स्वा0 (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर के पत्र क्रमांकःएफ.17(14)चि.स्वा./ग्रुप–2/2008 दि0 09.04.09 के क्रम में।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–भरतपुर/जयपुर/बीकानेर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/अजमेर को पालनार्थ
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,.....................को भेजकर लेख है कि राज्य में मलेरिया उन्मूलन हेतु डीडीटी 50 प्रतिशत कीटनाशकों का छिडकाव कार्य उपरोक्त दिशा निर्देशानुसार दैनिक मजदूरी की न्यूनतम दरों पर विभागीय मस्टररोल के आधार पर नरेगा की तरह कार्य करवाया जाएगा इस कार्य हेतु राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2009–10 के लिये आवश्यक बजट उपलब्ध करवाया जा रहा है।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय
6. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खण्ड..............................जिला..............................
7. कार्यालय प्रति/रक्षित पत्रावली।

22/4/09

(डॉ0 बी.आर.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक(ग्रा.स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर